न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 14/2018

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां, जिला–बारां (राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री हेमराज पुत्र हजारी लाल उचित मूल्य दुकानदार ठीकरिया, तहसील अन्ता
2. श्री नरोत्तम पुत्र गोपाल जाति कुम्हार, निवासी बमोरी, अन्ता
3. श्री ओम प्रकाश पुत्र गोपीचन्द, जाति कुम्हार, निवासी बरडिया, अन्ता
4. श्री धनराज पुत्र गोपीचंद, जाति कुम्हार, निवासी बरडिया, अन्ता

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री गजेन्द्र पंचौली अभिभाषक (अप्रार्थी क्र.सं.–1)
3. श्री सुरेन्द्र मीणा अभिभाषक (अप्रार्थी क्र.सं.–2 ता 4)

निर्णय दिनांक– 04.11.2022

1– प्रार्थी श्री शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि पुलिस थाना अन्ता से दिनांक 07.06.2018 को केरोसीन कालाबाजारी की सूचना पुलिस द्वारा प्राप्त होने पर पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता पहुँचकर बमोरी रोड़ अंता से एक लोडिंग ऑटो को पकड़ा जिसमें ड्राइवर सहित 3 व्यक्तियों द्वारा 10 जरिकेनों में केरोसीन लेकर जाना पाया। जिन्हे मौके से पकड़ कर लोडिंग ऑटो व केरोसीन सहित थाना परिसार में लाया जाकर जांच की गई जिसके अनुसरा लोडिग ऑटो वाहन संख्या आर.जे. 28 जी.ए. 1872 में 10 जरिकेन नीला केरोसीन पाया गया। जिसका नाप करने कुल 190 लीटर केरोसीन पाया गया। पुलिस द्वारा डिटेन किये गये अप्रार्थीगण कम 2,3,4 से केरोसीन प्राप्ति के विषय में पूछताछ करने पर जरिये लिखित बयान उन्होंने बताया कि वे ठीकरिया राशन डीलर श्री हेमराज शर्मा की राशन की दुकान से 10,000 रूपये में उक्त केरोसीन खरीदकर लाये हैं। जिस पर केरोसीन डीलर की दुकान की जांच करने पहुंचने पर उक्त दुकान बंद पाई गई तथा डीलर का फोन भी बंद पाया गया। राशन डीलर द्वारा केरोसीन कालाबाजारी में लिप्त होना प्रमाणित करता है। उक्त नीले केरोसीन की खुले बाजार में बिक्री नहीं की जा सकती है। जबकि प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार की मिली भगत से उपरोक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा अन्य कार्य के लिये केरोसीन की कालाबाजारी की जानी पाई गई। इस पर अप्रार्थीगण के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज.)

तथा जब्तशुदा केरोसीन 190 लीटर श्री हेमराज गोयल उचित मूल्य दुकानदार अन्ता को सुपुर्द किया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रकरण दर्ज कर, 190 लीटर केरोसीन को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया कि पुलिस थाना अन्ता द्वारा दिनांक 07.06.2018 को कालाबाजारी की सूचना पर बमोरी रोड अन्ता से एक लोडिग ऑटो जिसमें तीन व्यक्तियों द्वारा तथाकथित दस जरीकेन में नीला केरोसीन ले जाना बताया गया, मय केरोसीन पकडे गये व्यक्तियों ने जप्त शुदा केरोसीन को मुझ उचित मूल्य दुकानदार की उचित मूल्य दुकान ठीकरीया से खरीदना बताया है, जो सरासर गलत है, अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार का जप्त शुदा केरोसीन से एवं उन व्यक्तियों से कोई लेना देना नही है। जप्त शुदा केरोसीन को राजसात किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। जप्त शुदा केरोसीन के बारे में कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां द्वारा पूर्ण जांच की जा चुकी है, जिसमें उचित मूल्य दुकानदार को निर्दोष पाया गया है। उसका उचित मूल्य का लाईसेंस चालू हैं एवं राशन वितरण का कार्य गत वर्षो से नियमानुसार कर रहा है। अतः जप्त शुदा केरोसीन को राज्य हित में जप्त राज कर, अप्रार्थी कम 1 उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध जैरकार कार्यवाही को निरस्त फरमावें।

3— अप्रार्थी कम 2 व अप्रार्थी कम 3 व 4 ने जवाब पेश नहीं किया। हमने बहस हेतु प्रकरण नियत किया। हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी गई।

4— बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 07.06.2018 को बमोरी रोड़ अंता से एक लोडिंग ऑटो को पकड़ा जिसमें ड्राइवर सहित अप्रार्थी कम 2,3, व 4 द्वारा कुल 190 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी करते पाया गया। अप्रार्थीगण कम 2,3,4 से केरोसीन प्राप्ति के विषय में पूछताछ करने पर बताया कि वे ठीकरिया राशन डीलर श्री हेमराज शर्मा की राशन की दुकान केरोसीन खरीद कर लाये हैं। राशन डीलर द्वारा केरोसीन कालाबाजारी में लिप्त होना प्रमाणित करता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रकरण दर्ज कर, जब्तशुदा 190 लीटर केरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

5— दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी कम 1 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब्त शुदा केरोसीन से अप्रार्थी कम 1 का कोई लेना देना नहीं है तथा इस जब्तशुदा केरोसीन को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी कम 1 को कोई आपत्ति नही है। जब्त शुदा केरोसीन के बारे में कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां द्वारा पूर्ण जांच की जा चुकी है, जिसमें अप्रार्थी को निर्दोष पाया गया है एवं उसका उचित मूल्य का लाईसेंस चालू हैं। अतः जब्त शुदा केरोसीन को राज्य हित में जप्त राज कर, अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध जैरकार कार्यवाही को निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कार्यालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

6— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी श्री शिवजीराम जाट, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा दिनांक 07.06.2018 को लोडिग ऑटो वाहन संख्या आर.जे. 28 जी.ए. 1872 में 10 जरिकेन नीला केरोसीन अप्रार्थीगण कम 2,3,4 से कुल 190 लीटर केरोसीन पाया गया। पुलिस द्वारा डिटेन किये गये अप्रार्थीगण कम 2,3,4 से केरोसीन प्राप्ति के विषय में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे ठीकरिया राशन डीलर श्री हेमराज शर्मा की राशन की दुकान से खरीद कर लाये हैं। राशन डीलर द्वारा केरोसीन कालाबाजारी में लिप्त होना प्रमाणित करता है। उक्त नीला केरोसीन खुले बाजार में बिक्री नहीं की जा सकती है। जबकि प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार की मिली भगत से उपरोक्त अप्रार्थीगण कम 2,3,4 द्वारा अन्य कार्य के लिए नीले केरोसीन की कालाबाजारी की जाना पाई गई। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रकरण दर्ज कर, 190 लीटर केरोसीन को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 190 लीटर केरोसीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा 190 लीटर केरोसीन की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर,बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:39 IST
Reason: SelfAttested